प्रेस विज्ञप्ति
09/04/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 03 व्यक्तियों आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और श्रीमती मीरा श्रीवास्तव को शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में चल रही धन-शोधन जांच के सिलसिले में दिनांक 09.04.2024 को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दर्ज लगभग 250 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन्होंने जनता से निवेश के नाम पर व निवेश पर भारी रिटर्न का वादा करके भारी मात्रा में धन राशि लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपये एकत्रित किए और अंततः धोखाधड़ी करके जनता/निवेशकों को ठगा।

ईडी की जांच से पता चला कि आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और श्रीमती मीरा श्रीवास्तव शाइन सिटी समूह की कंपनियों के मुख्य आरोपी व्यक्ति और निदेशक हैं। इन व्यक्तियों ने निवेशकों को लालच दिया, पैसा इकट्ठा किया और उन्हें धोखा दिया। ईडी की जांच से यह भी पता चला कि अपराध की आय उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न अन्य कंपनियों और उनके करीबी व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। आशिफ नसीम शाइन सिटी समूह की उन 20 कंपनियों में निदेशक हैं जिन्हें अपराध का राशि/आय प्राप्त हुई तथा जिनका उपयोग भूमि खरीदने में किया गया। अमिताभ कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती मीरा श्रीवास्तव ने कंपनी मैसर्स किंग्स्टन बिल्ड कॉन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 22 करोड़ रुपये एकत्र किए तथा अपराध की आय का उपयोग भूमि और अन्य व्यक्तिगत परिसंपत्तियां खरीदने के लिए किया। उनके स्वामित्व वाली तथा उनके द्वारा खरीदी गई परिसंपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं।

आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और श्रीमती मीरा श्रीवास्तव को 09.04.2024 को गिरफ्तार किया गया था तत्पश्चात उन्हें विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई) (पीएमएलए मामलों के लिए विशेष न्यायालय), लखनऊ के समक्ष दिनांक 09.04.2024 को पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 07 दिनों के लिए दिनांक 16.04.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है।

इस मामले में इससे पहले ईडी ने दिनांक 24.11.2023 को 18 परिसरों में तलाशी ली थी तथा विभिन्न अपराध-सूचक दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी की अब तक की जांच के परिणाम-स्वरूप 128 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।

यह 5वीं बार है जब ईडी ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। इससे पहले ईडी ने श्रीमती शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद और उधव सिंह को गिरफ्तार किया था। सभी को ईडी की हिरासत दी गई थी और फिलहाल वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।